

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लार्डन फाटक के पास सी-स्कीम, जयपुर 302005
दूरभाष नं० 0141-2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई-मेल: dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ 2 (घ)०(नि०) जांच/आरएमएस/डीएलबी/17/2091

दिनांक: 8/8/17

आदेश

चूंकि श्री दिनेश कावत, (कनिष्ठ अभियन्ता) तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, हाल - कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, चौमू, के विरुद्ध नगर पालिका, चौमू से संबंधित एक विभागीय जांच प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान सेवाये (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिनेश कावत, (कनिष्ठ अभियन्ता) तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, हाल - कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, चौमू को एतद द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में श्री कावत का मुख्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में रहेगा तथा जांच को प्रभावित नहीं कर सकें उक्त कारण से श्री कावत की निलम्बन काल में मुख्यालय पर उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका, चौमू से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ 2 (घ)०(नि०) जांच/आरएमएस/डीएलबी/17/2092-2101 दिनांक: 8/8/17
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलैक्टर, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
6. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, चौमू।
7. श्री दिनेश कावत, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, चौमू।
8. आर. एम. एस. (संस्थापन)/आर.एम.एस. (तकनीकी) अनुभाग निदेशालय।
9. सुरक्षित पत्रावली।



(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक